

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नन्दर व ताराख
अहकाम जो इस
हुकम को तानील
में जारी हुए

28-5-24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 6-6-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

6-6-24

पत्रावली पेश हुई वकील प्राक्षीगण उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि एबी से पेश हुआ जिले शाह पठ किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण की कितनी मर्तवा कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक्टिंग कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्राक्षीगण का प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर लिटिग प्रथक से लिखा जाकर शाह पठ किया गया। पत्रावली फाँसल शुक्र होकर गम्बर से रुमली

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सहायक अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 202/24 प्रा.पत्र

श्री गोपाल लाल 510 श्री नन्दलाल तेली निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (वंगरा)

प्राप्त

बनाम

श्रीमती मांगी 40 श्री नन्दलाल तेली निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (काँरा)
(पुढांकित प्रा.पा.शे.लंग)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06.6.24

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निर्देश किया कि म. श्री नन्दलाल तेली पटवार हल्का माण्डल II तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 8328, 8329 कुल किता 0.2 रकबा 0.0759 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.5.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का धेकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्राथी श्री नन्दलाल तेली पटवार हल्का माण्डल II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 8328, 8329 कुल किता 0.2 रकबा 0.0759 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जांचकरी किये ने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-आभिलेख निरीक्षक माण्डल 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्थरगढी की मौजूदगी में मौके व कब्जे यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाने। फराल खड़ी होने पर प्ररगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

निलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर निगमाचुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल